दिनाक 15.01.2021
प्रेस विज्ञप्ति–15/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बीटा–2

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **लूटे गये 01 लाख 75 रूपये नगद,**
- **01 पिस्टल, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **घटना में प्रयुक्त सैन्ट्रोकार बरामद**

दिनांक 15.01.2021 को थाना बीटा–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डाढा गोल चक्कर 120 फिटा सर्विस रोड के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर अभियुक्त आरव भाटी उर्फ योगेश्वर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूटे गये 01 लाख 75 हजार रूपये नगद, 01 पिस्टल, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त सैन्ट्रोकार बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध गौतमबुद्धनगर के थाना सूरजपुर, थाना बीटा–2 में लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। दिनॉकः 08.01.2021 को थाना बीटा–2 क्षेत्र में हुई लूट की घटना के सम्बन्ध अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

आरव भाटी उर्फ योगेश्वर निवासी साकीपुर थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगीः–

1–लूट के 01 लाख 75 हजार रूपये नगद,

2–01 पिस्टल, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

3–घटना में प्रयुक्त सैन्ट्रोकार ।

जनपद एटा/थाना मिरहची

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **12 बने/अधबने अवैध तंमचे विभिन्न बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 14.01.2021 की सायं थाना मिरहची पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बनुआ में स्थित घर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते एक शातिर अभियुक्त तहसीलदार सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 12 बने/अधबने अवैध तमंचे विभिन्न बोर, 02 जीवित कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना मिरहची पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

तहसीलदार सिंह निवासी ग्राम नगला नारायण थाना जैथरा जनपद एटा।

बरामदगी

1–12 बने/अधबने अवैध तमंचे विभिन्न बोर, 02 जीवित कारतूस।

2–शस्त्र बनाने के उपकरण/पुर्जे आदि।

<u>जनपद बरेली/थाना किला</u>

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार,**
- **लगभग 50 लाख रूपये अर्न्तराष्ट्रीय कीमत के 500 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 14.01.2021 की सायं थाना किला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेती चौराहे पर चेकिंग के दौरान मादक पदार्थ तस्कर नाजिम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 50 लाख रूपये अर्न्तराष्ट्रीय कीमत की 500 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई।

इस संबंध में थाना किला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

नाजिम निवासी ग्राम रूकुमपुर थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

लगभग 50 लाख रूपये अर्न्तराष्ट्रीय कीमत के 500 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

<u>जनपद सहारनपुर/थाना फतेहपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 07 अपराधी गिरफ्तार,**
- **20 कुन्तल अवैध शीशम की लकडी,**
- **03 अवैध तमंचा, 06 जीवित, 04 खोखा कारतूस,**
- **01 टाटा 407, सेन्ट्रोकार एवं लकडी काटने के उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 15.01.2021 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान जीवाला चौक मेन रोड़ बेहट फतेहपुर पर बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी , जिसमें एक आरक्षी गौरव घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी

कार्यवाही में 01 बदमाश 1—मौसम घायल हो गया, जिसे अन्य अपराधी 2—तालीम 3—अमित 4—जाहिद 5—सुनील 6—राशिद 7— मुकेश सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गयी शीशम की लकड़ी 20 कुन्तल, 03 अवैध तमंचा, 06 जीवित, 04 खोखा कारतूस, 01 टाटा 407, सेन्ट्रोकार एवं लकडी काटने के उपकरण आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मौसम के विरूद्ध जनपद सहारनपुर व हरिद्वारा के विभिन्न थानो में डकैती, वन अधिनियम, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है तथा गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से बरामद शीशम की लकड़ी थाना क्षेत्र पुरकाजी मुजफ्फरनगर से चोरी की गयी थी।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

1—मौसम निवासी ग्राम हल्दौर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार।

2—तालिम निवासी नियामतपुर थाना बेहट जनपद सहारपुर।

3—अमित निवासी सिकरोडा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार।

4—जाहिद निवासी सिकरोडा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार

5—सुनील निवासी सिकरोडा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार।

6—राशिद निवासी बुडेढी थाना पथरी जनपद हरिद्वार।

7— मुकेश निवासी सिकरोडा थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार।

बरामदगीः—

1—चोरी की शीशम की लकड़ी 20 कुन्तल,

2—03 अवैध तमंचा, 06 जीवित, 04 खोखा कारतूस,

3—01 टाटा 407,

4—01सेन्ट्रोकार

5—लकडी काटने के उपकरण आदि।

जनपद बरेली/थाना सुभाषनगर

- **पुलिस कार्यवाही में टापटेन हिस्ट्रीशीटर अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस,**
- **02 मोबाइल फोन,**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 15.01.2021 को थाना सुभाषनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान सिटी शमशान भूमि के पास बाइक सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दी । बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग में उ0नि0 श्री सुशील कुमार घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में टापटेन अपराधी मनोज घायल हो गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 02 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुये। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का टापटेन हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध चोरी, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सुभाषनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :—

मनोज निवासी सुभाषनगर थाना सुभाषनगर जनपद बरेली।

बरामदगी:—

1—01 अवैध तमंचा, 03 जीवित, 01 खोखा कारतूस,

2—02 मोबाइल फोन,

3— 01 मोटर साइकिल बरामद ।

<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना तिलहर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में जिला बदर शातिर अपराधी गिरफ्तार,**
- **लगभग 20 लाख रूपये अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के 500 ग्राम अवैध अफीम,**
- **01 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 15.01.2021 को थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान धनवन्तरि चिकित्सालय के सामने राजनपुर रोड पर पुलिस कार्यवाही के दौरान जिला बदर शातिर अपराधी छोटे उर्फ छोटईया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 20 लाख रूपये अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के 500 ग्राम अवैध अफीम, 01 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त :–</u>

छोटे उर्फ छोटईया निवासी मोहल्ला दिलजाक थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

<u>बरामदगी</u>:–

1–लगभग 20 लाख रूपये अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के 500 ग्राम अवैध अफीम,

2–01 अवैध तमंचा, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद।

<u>जनपद आगरा/थाना जगनेर</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण,**
- **01 अपराधी गिरफ्तार,**
- **चोरी के सोने चॉदी के आभूषण,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 14.01.2021 की रात्रि को थाना जगनेर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान नौनी तिराहे पर बदमाशों की घेराबन्दी

की गयी तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में बदमाश अशोक घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तार की प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के सोने चॉदी के आभूषण (2 जोड़ी पाजेब, 01 अंगूठी, 01 लॉकेट) 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये । घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद आगरा, एटा, फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, हत्या का प्रयास, डकैती, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 25 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जगनेर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त :—</u>

अशोक निवासी गोपालपुर थाना जलेसर जनपद एटा ।

<u>बरामदगीः—</u>

1—चोरी के सोने चॉदी के आभूषण (2 जोड़ी पाजेब, 01 अंगूठी, 01 लॉकेट)

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद ।

एसटीएफः विभिन्न सरकारी विभागों में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर स्थाई एवं संविदा पर नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ो लोगो को झांसा देकर करोड़ों रूपये की ठगी करने वाले गिरोह के गैंग लीडर सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14—01—2021 को एसटीएफ उ0प्र0 को विभिन्न सरकारी विभागों में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर स्थाई एवं संविदा पर नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ो लोगो को झॉसा देकर करोड़ों रूपये की ठगी करने वाले गैंग लीडर सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— मयूर मोहन श्रीवास्तव पुत्र श्याम मोहन श्रीवास्तव नि0 डी—137, पी अलीगंज, लखनऊ।

2— मोबिन अहमद पुत्र अली अहमद नि0 म0नं0 एच—14, सर्वोदय नगर, लखनऊ।

बरामदगीः—

1— 01 अदद लैपटाप।

2— कूटरचित परिचय पत्र (भारतीय खाद्य निगम))।

3— 25 अदद कूटरचित एडमिट कार्ड)सीबीएसई दिल्ली)।

4— 16 अदद कूटरचित पत्र (केन्द्रीय विद्यालय संगठन)।

5— 01 कार आईटेन यूपी 78 बीजेड 1252

6— रू0 नगद 3,890/—

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

निकट मुन्शी पुलिया, थाना क्षेत्र गाजीपुर, लखनऊ दिनांक 14.01.2021

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी, कि कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखा देने वाला गैंग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सक्रिय है। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमो/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुक्रम मे श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

एसटीएफ टीम द्वारा भौतिक सूचनाएं एकत्र की गयी, तो पता चला कि मयूर मोहन श्रीवास्तव, मोबिन, दीपक गुप्ता व अन्य लोगों द्वारा एक गैंग बनाकर इस प्रकार धोखाधड़ी करने में सक्रिय है, जिनके द्वारा सचिवालय, पशुधन विभाग, भारतीय रेलवे, फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया केन्द्रीय विद्यालय एवं संगठन, एनटीपीसी रायबरेली, दिल्ली पुलिस, होमगार्ड आदि में विभिन्न पदों पर स्थाई/अस्थाई नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगो से धोखाधड़ी की जा रही है। धोखाधड़ी के षिकार हुए नवयुवकों ने बताया कि ये लोग अपना नाम पता असली नहीं बताते है। केवल सार्वजनिक जगहों पर ही मिलते है। हम लोगों ने अपनी जमीन जायदाद गहने गिरवी रखकर लाखों रूपये दिये

है। इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी करने पर पता चला कि दिनांक 30.07.2020 को वादी श्री अरविन्द द्वारा मु0अ0सं0 461/2020 धारा 420, 406 भादवि थाना गाजीपुर, लखनऊ पर दिनांक 27.09.2020 को वादी श्री राहुल कुमार सिंह द्वारा थाना सकलडीहा, जनपद चन्दौली पर मु0अ0सं0 140/2020 धारा 419, 420, 467, 468 भादवि व दिनांक 14–01–2021 को वादी श्री संजय सिंह द्वारा मु0अ0सं0 29/2021 धारा 420, 467, 468 भादवि थाना गाजीपुर, लखनऊ पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जिस पर एसटीएफ की टीम द्वारा इनकी गहन तलाश की गयी, दिनॉक 14–01–2021 को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की सरकारी विभागों में स्थाई/संविदा पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का सरगना मयूर मोहन श्रीवास्तव अपने गिरोह के कुछ सदस्यों के साथ मुन्शी पुलिया चौराहा, थाना क्षेत्र गाजीपुर के पास किसी से मिलने आने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहॅुचकर मुखबिर के संकेत पर उसकी पहचान का विश्वास करते हुये आवश्यक बल प्रयोग कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त मयूर मोहन ने पूछतांछ करने पर बताया कि वह पूर्व में हच मोबाईल कम्पनी में टीम लीडर व एक स्कूल में टीचर रह चुका है। वर्ष–2013 से इस धोखाधड़ी में लिप्त है, उसके व उसके गैंग द्वारा गरीब बेरोजगार विद्यार्थियों को चाय की दुकानों पर यहॉ–वहॉ सम्पर्क किया जाता था तथा उनसे सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लिया जाता था। जिसके लिए उसके द्वारा विभिन्न विभागों से सम्पर्क कर किसी न किसी माध्यम से इन नवयुवको को ऐसे विभागों के भवनों के अन्दर ले जाया जाता था तथा वहॉ इन्हे कूटरचित एपांइन्मेन्ट लेटर, ज्वाईनिंग लेटर व फर्जी वेब पेज पर कैन्डिडेटों के नाम टाईप कर उन्हे दिखाकर उनके नौकरी लग जाने के विषय में विष्वास दिला दिया जाता था। जिसके लिए उन्हे अलग–अलग शहरों में जैसे एफसीआई में नौकरी लगवाने के नाम पर नोएडा, गोमतीनगर लखनऊ, बलिया एफसीआई के आफिसों एवं फील्ड यूनिटों में ले जाया जाता था। इसी प्रकार केन्द्रीय विद्यालय के लिए विभिन्न रिजनल आफिस जैसे अलीगज, लखनऊ, कानपुर, झॉसी, आगरा में ले जाया गया था। इसी प्रकार उसके व उसके गैंग द्वारा विगत 5–6 महीनों में ही एफसीआई में नौकरी दिलाने हेतु 49 लाख रूपये तथा केन्द्रीय विद्यालय के लिए 100 से अधिक युवको से 02 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि ऐठ लिया गया। यह पूछने पर कि इतने दुस्साहसिक तरीके से पूर्व विधायक के परिचितों से भी ठगी कर पैसा ले लिया गया है। जिस पर उसने बताया कि वह लोग पूर्व योजना के अनुसार किसी एक कैन्डिडेट के माध्यम से बाकी अन्य लोगों का पैसा प्राप्त करते है। जब काम न होने पर यदि वह अधिक दवाब बनाने में सफल हो जाता

है तो उसके कुछ पैसे लौटाकर उसे विश्वास दिलाते थे कि मुकदमा लिखवाने या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से तुम्हे इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा तथा अन्य लोगों को यह कहकर नकार देते थे कि जब तुमसे पैसा ही नहीं लिया गया तो लौटाने का प्रश्न ही नहीं होता।

गिरफ्तार अभियुक्तों को मु0अ0सं0 29/2021 धारा 420, 467, 468 भादवि थाना गाजीपुर, लखनऊ में दाखिल किया जा रहा है। अग्रिम कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————